न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

निर्णय दिनांक
21.06.2023

दावा संख्या
142/2023

रजू दिनांक
26.04.2023

उनवान

1. हनुमान पुत्र बिहारीलाल जाति जाट निवासी ग्राम माजरा काठ तह0 नीमराना जिला अलवर। :—वादी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना। :— प्रतिवादी।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0 बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात।

उपस्थिती:—

1. श्री प्रहलाद सिंह नाथावत एड0 वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं.हाल 717/030,717/863/0.08, 575/0.86, 574/01.00, 176/0.66, 514/0.25, 515/0.28, 552/0.05, 553/0.22,555/0.29,722/0.45,723/0.36,153/0.67 वाके ग्राम माजरा काठ के प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। मिनवादी का सही मिन वादी का सही व वास्तविक नाम हनुमान पुत्र बिहारी है। परन्तु मिन वादी के नाम इंतकाल विरासत स्वीकृत समय ख.न. 717,717/863 के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम मानसिंह पुत्र भूरा तथा 575,574 के रिकॉर्ड मे हनुमानसिंह पुत्र बिहारीलाल व ख.नं. 176,514,515,552,553,555,722,723,153 के राजस्व रिकॉर्ड मे हनूमान पत्र भूरा दर्ज कर दिया गया जो गलतह है। जो गलत इन्द्राज निरन्तर रिपिट होता चला आ रहा है। मिन वादी के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड,मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड नाम की जानकारी मिन वादी को अब आराजी पर किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबंदी की नकले ली तब पटवारी हल्का ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड मे आपका नाम गलत दर्ज है,तब मिन वादी दिनांक 15.04.2023 तहसीलदार साहब से मिला तो उन्होंने रिकॉर्ड देख कर कहा की आप दुरूस्ती का दावा पेश करो। इसलिए वादी को राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम मे दुरूस्ती के लिए न्यायालय श्रीमान मे यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. अन्त मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:—
   (क) डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की जारी की जावे कि आराजी ख.नं. हाल 717/030,717/863/0.08, 575/0.86, 574/01.00, 176/0.66, 514/0.25, 515/0.28, 552/0.05, 553/0.22,555/0.29,722/0.45,723/0.36,153/0.67 वाके ग्राम माजरा काठ तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खातेदारी कॉलम मे जहॉ पर वादी का नाम मानसिंह पुत्र भूरा व हनुमानसिंह पुत्र बिहारीलाल दर्ज है को दुरूस्त किया जाकर **हनुमान पुत्र बिहारी** दर्ज किए जाने की घोषणा फरमाई जावे एंव इसी अनुसान हाल राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमायें जावे।
   (ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।
   (ग) दीगर दादरसी जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाई जावे।

अधिकारी
ा (अलवर)

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादी न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुये लिहाजा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

4. वादी ने अपने वाद की पुष्टि मे दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 ,आधार कार्ड की छायाप्रति,छायाप्रति निर्वाचन पहचान पत्र,नगरपालिका नीमराना का प्रमाण पत्र दिनांक 18.04.2023,परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति पेश किये है।

5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे वादी द्वारा प्रस्तुत नगरपालिका,नीमराना के प्रमाण पत्र मे वादी का सही नाम''हनुमान पत्र बिहारी''होना बताया है,तथा वादी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधार कार्ड,राशन कार्ड, वोटर आई डी के अवलोकन से साबित है कि वादी का सही नाम हनुमान पत्र बिहारी है। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार ख. नं. 717,717/863 पर वादी का नाम मानसिंह पुत्र भूरा व ख.नं. 575,574 पर हनुमान सिहं पुत्र बिहारी तथा ख.न. 776,514,515,552,553,555,722,723,153 पर हनुमान पुत्र भूरा दर्ज किया हुआ है,जो गलत है। वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद साबित होता है। वाद वादी डिक्री किए जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. 717/030,717/863/0.08, 575/0.86, 574/01.00, 176/0.66, 514/0.25, 515/0.28, 552/0.05, 553/0.22,555/0.29,722/0.45,723/0. 36,153/0.67 वाके ग्राम माजरा काठ तह0 नीमराना के खातेदारी कॉलम मे जहा पर मानसिंह पुत्र भूरा व हुनमानसिंह पुत्र बिहारीलाल तथा हनुमान पुत्र भूरा दर्ज किया हुआ हे उसे कलमजन किया जाकर वादी का सही नाम हुनमान पुत्र बिहारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

21/6/2023

मुकुद सिंह, (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
142 / 2023	26.04.2023	21.06.2023

उनवान

1. हनुमान पुत्र बिहारीलाल जाति जाट निवासी ग्राम माजरा काठ तह0 नीमराना जिला अलवर। :—वादी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादी।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0 बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात।

परिस्थिती:—

1. श्री प्रहलाद सिंह नाथावत एड0 वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. 717/030,717/863/0.08, 575/0.86, 574/01.00, 176/0.66, 514/0.25, 515/0.28, 552/0.05, 553/0.22,555/0.29,722/0.45,723/0.36,153/0.67 वाके ग्राम माजरा काठ तह0 नीमराना के खातेदारी कॉलम मे जहा पर मानसिंह पुत्र भूरा व हुनमानसिंह पुत्र बिहारीलाल तथा हनुमान पुत्र भूरा दर्ज किया हुआ हे उसे कलमजन किया जाकर वादी का सही नाम हुनमान पुत्र बिहारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

21/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)